करुणा कंसल

बनाम

हेमंत कंसल और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4847- 2019 की 4848)

मई 09, 2019

[न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: आदेश 43, नियम 1 (डी) - आदेशों से अपील - आदेश 43 नियम 1 (डी) के तहत पहली पत्नी-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पति-प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ अपील, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पहली पत्नी द्वारा आवेदन दायर करने में देरी को माफ करने से इनकार करना और प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के विवाह के विघटन के लिए एकतरफा डिक्री को रद्द करने की अस्वीकृति - उच्च न्यायालय ने एकतरफा डिक्री को रद्द कर दिया और निर्देश जारी किए। कि प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहने के लिए - अपीलकर्ता-दूसरी पत्नी द्वारा समीक्षा - डिवीजन बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया - अपील पर आयोजित किया गया: उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 के साथ अपीलकर्ता के विवाह के तथ्य पर ध्यान देने के बाद भी, उसके परिणामों पर ध्यान नहीं दिया और निर्देश दिए, जो उचित प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं - उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को सुने बिना आदेश पारित किया और जारी नहीं किया। उसके लिए अपील का कोई भी नोटिस - इस प्रकार, लागू आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से परे और कानूनी रूप से अस्थिर है - मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलकर्ता को एक पक्ष प्रतिवादी के रूप में पेश करने के बाद अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है - पार्टी / पार्टियां - आवश्यक पक्ष - पक्षकार।

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा:

1.1 आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर, यह पाया गया है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ अपीलकर्ता के विवाह के तथ्य पर ध्यान देने के बाद भी, उसके परिणामों पर ध्यान नहीं दिया है और ऐसे निर्देश दिए हैं, जो उचित प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, जहां अपीलकर्ता को सुने बिना और उसे अपील का कोई नोटिस जारी नहीं किए बिना लागू आदेश पारित किया गया था और फिर भी ऐसे निर्देश दिए गए थे, जो लागू करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, आक्षेपित आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से परे है और कानूनी रूप से अस्थिर है। [पैरा 11, 12] [480-सी-डी]

1.2 यह इस तथ्य से अलग है कि क्या ऐसे निर्देश जारी किए जा सकते हैं; और दूसरा, क्या प्रतिवादियों के बीच अपील में इस तरह के निर्देश आवश्यक थे, जिसमें एकमात्र सवाल यह था कि क्या फैमिली कोर्ट (एडीजे) ने आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर आवेदन दायर करने में देरी को माफ करने से इनकार कर दिया था और यदि हां, तो किस आधार पर। लगाए गए आदेशों को रद्द किया जाता है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलकर्ता को एक पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करने और मुद्दों को सुलझाने के लिए पार्टियों को राजी करने के बाद मामले को कानून के अनुसार गुण-दोष के

आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है। [पैरा 13, 14, 16] [480-ई-एफ; H; 481-A]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 4847-4848।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 17.10.2014 के निर्णय और आदेश से, 2014 की समीक्षा याचिका संख्या 48 में इंदौर में पीठ और 2005 के एमए संख्या 709 में दिनांक 09.08.2011 के आदेश से।

एके चिताले, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुमित कुमार शर्मा, नीरज श्रीवास्तव, राहुल त्रिपाठी, कार्तिक चिताले, नीरज शर्मा, अपीलकर्ता के वकील।

सुश्री पंखुड़ी, तुषार सिंह, एसके वर्मा, प्रतिवादियों के वकील।

अदालत का फैसला न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने सुनाया।

1. अपील की अनुमति दी गई।

2. ये अपीलें 2014 की समीक्षा याचिका संख्या 48 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा इंदौर में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता द्वारा दायर उक्त समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया और 2005 की विविध अपील संख्या 709 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 09.08.2011 के आदेश को बरकरार रखा।

3. इन अपीलों के निपटान के लिए नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है, जिसमें एक छोटा बिंदु शामिल है।

4. विवाद, जो इन अपीलों का विषय है, पति (प्रतिवादी नंबर 1) और उसकी दो पत्नियों (अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2) के बीच है। यह प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के बीच फैमिली कोर्ट द्वारा तय किए गए वैवाहिक मुकदमे से उत्पन्न होता है।

5. दिनांक 09.08.2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 (पहली पत्नी) द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 (पति) के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 नियम 1 (डी) के तहत दायर अपील (एमए संख्या 709/2005) का निपटारा कर दिया।

6. दिनांक 10.12.2004 के आदेश द्वारा, एडीजे ने सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन दायर करने में देरी को माफ करने से इनकार कर दिया था और इस तरह उक्त न्यायालय द्वारा सीएस नंबर 09-ए/02 में पारित 23.08.2003 के एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

7. अपीलकर्ता प्रतिवादी नंबर 1 (पति) की दूसरी पत्नी है। अपीलकर्ता का यह मामला है कि प्रतिवादी नंबर 2 के साथ प्रतिवादी नंबर 1 के विवाह के विघटन के लिए एकपक्षीय डिक्री पारित करने और अपील दायर करने के लिए सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 (पति) ने उसके (अपीलकर्ता) साथ विवाह में प्रवेश किया। दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 2 (प्रतिवादी नंबर 1 की पहली पत्नी) ने उपरोक्त अपील दायर की, जिसके बारे में अपीलकर्ता को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन प्रतिवादी नंबर 1 के अपीलकर्ता से शादी करने का तथ्य वास्तव में उच्च न्यायालय के समक्ष कहा गया था। हालांकि, जब प्रतिवादी नंबर 1 ने कहा कि उसे अपीलकर्ता के साथ कोई समस्या नहीं है, तो उच्च न्यायालय ने 2002 के सीएस नंबर 09-ए में 23.08.2003

को पारित एकपक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि, "पक्ष पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहेंगे। अपीलकर्ता (प्रतिवादी संख्या 1 की दूसरी पत्नी) को एमए संख्या 709/2005 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 09.08.2011 के उपरोक्त आदेश के बारे में पता चलने पर, उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका (2014 का आरपी नंबर 48) दायर की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 17.10.2014 के आदेश द्वारा उक्त समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की है।

8. अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री ए. के. चिताले और प्रतिवादियों के वकील सुश्री पंखुड़ी और श्री एस. के. वर्मा को सुना।

9. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, हम इन अपीलों को अनुमति देने, आक्षेपित आदेशों को रद्द करने और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर विविध अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को सौंपने के लिए मजबूर हैं।

10. मामले को रिमांड पर लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमने पाया कि अपीलकर्ता को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया था और न ही उसे उच्च न्यायालय द्वारा सुना गया था।

11. दिनांक 09.08.2011 के आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ अपीलकर्ता के विवाह के तथ्य पर ध्यान देने के बाद भी, उसके परिणामों पर ध्यान नहीं दिया है और ऐसे निर्देश दिए हैं, जो उचित प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

12. ऐसी स्थिति में, जहां अपीलकर्ता को सुने बिना और उसे अपील का कोई नोटिस जारी नहीं किए बिना लागू आदेश पारित किया गया था और फिर भी ऐसे निर्देश दिए गए थे, जो लागू करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, हमारे विचार में आक्षेपित आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर और कानूनी रूप से अस्थिर है और इसे अकेले इस छोटे से आधार पर रद्द किया जाना चाहिए।

13. यह इस तथ्य से अलग है कि क्या ऐसे निर्देश जारी किए जा सकते हैं; और दूसरा, क्या प्रतिवादियों के बीच अपील में इस तरह के निर्देश आवश्यक थे, जिसमें एकमात्र सवाल यह था कि क्या फैमिली कोर्ट (एडीजे) ने सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर आवेदन दायर करने में देरी को माफ करने से इनकार कर दिया था। यदि हां, तो किस आधार पर।

14. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। लगाए गए आदेशों को रद्द किया जाता है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलकर्ता को एक पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के बाद मामले को कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है।

15. तथापि, हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनका पक्षकारों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ा है।

16. इस कारण से, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह अपीलकर्ता को विविध अपील में एक पक्ष के रूप में शामिल करे और पार्टियों को इस लंबे समय से लंबित वैवाहिक विवाद को शांत करने के लिए कुछ

पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर, यदि संभव हो, मुद्दों को सुलझाने के लिए राजी करे, क्योंकि इस मुकदमे को जारी रखना इन अपीलों के किसी भी पक्ष के हित में नहीं है।

17. यदि उच्च न्यायालय अंततः पाता है कि पक्षकार किसी भी कारण से सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता करने में सक्षम नहीं हैं, तो विवादित आदेश और इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार विविध अपील पर निर्णय लिया जाए।

अपील की अनुमति दी गई।

इला देओल, एडवोकेट